एयर डिफेंस को मिलेगी नई ताकत

दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में भी दुश्मन की हवाई गतिविधियों पर सटीक नजर

- 1,950 करोड़ रुपये की लागत की मिली मंजूरी
- स्वदेशी माउंटेन रडार सिस्टम से रक्षा को ताकत मिलेगी

नई दिल्ली, 31 मार्च. देश की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स ने इंडियन एयर फॉर्स के लिए स्वदेशी माउंटेन रडार सिस्टम को मंजूरी दी है.

1,950 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाले ये अत्याधुनिक रडार दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में भी दुश्मन की हवाई गतिविधियों पर सटीक नजर रख सकेंगे. इस परियोजना से भारत की वायु रक्षा क्षमता मजबूत होगी. आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत की वायु सुरक्षा को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स ने एयर फॉर्स के लिए स्वदेशी माउंटेन रडार सिस्टम से रक्षा को ताकत मिलेगी.

रडार टेरेन में सटीकता के साथ काम करने में सक्षम

लगभग 1,950 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के तहत ऐसे अत्याधुनिक रडार तैयार किए जाएंगे, जो दुर्गम पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगे. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन रडार सिस्टम की तैनाती से देश की एयर डिफेंस क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा। खासतौर पर उत्तर और पूर्व के पहाड़ी सीमावर्ती क्षेत्रों तथा पश्चिम के रेगिस्तानी इलाकों में दुश्मन की हवाई गतिविधियों पर नजर रखना अब और आसान हो जाएगा। ये रडार हर प्रकार के टेरेन में सटीकता के साथ काम करने में सक्षम होंगे। इस महत्वपूर्ण परियोजना के तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। रडार सिस्टम का डिजाइन और विकास डिफेन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्गेनाईजेशन की इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रडार विकास स्थापना द्वारा किया गया है, जबकि इसका निर्माण द्वारा किया जाएगा .यह सौदा 'स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित' श्रेणी के अंतर्गत किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देता है. इसके जरिए न केवल विदेशी रक्षा उपकरणों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि देश में रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा.

सर्गेई लावरोव ब्रिक्स बैठक में शामिल होने के लिए भारत के दौरे पर

नयी दिल्ली. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 14-15 मई को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए नयी दिल्ली आयेंगे। रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रेई रुडेंको ने रूस की समाचार एजेंसी तास को यह जानकारी दी। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस सम्मेलन से इतर श्री लावरोव विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य अधिकारियों के साथ भी अलग से बैठकें करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने रूस के उप विदेश मंत्री रुडेंको के साथ 30 मार्च को एक वार्ता की थी। इस वार्ता (परामर्श) के दौरान, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की पूरी श्रृंखला की समीक्षा की और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया. दोनों ने दिसंबर 2025 में नयी दिल्ली में आयोजित 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने की प्रगति का भी आकलन किया। अपनी यात्रा के दौरान, श्री रुडेंको ने विदेश मंत्री से भी मुलाकात की।

कुंडई में मानसिक शांति का अनुभव : केजरीवाल

- गोवा के कुंडई में केजरीवाल को मिला आध्यात्मिक अनुभव
- अरविंद केजरीवाल ने गोवा के पवित्र स्थल में किया दर्शन

नई दिल्ली, 31 मार्च. आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में गोवा के कुंडई स्थित तपोभूमि-श्री दत्त पद्मनाभ पीठ का दौरा किया.

वहां उन्होंने पद्मश्री सद्गुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामीजी के सान्निध्य में गहन शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। केजरीवाल ने अपने अनुभव को एक्स पर साझा किया और लिखा कि यह पवित्र स्थल न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है बल्कि स्थानीय संस्कृति, योग और ज्ञान के प्रसार का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। उन्होंने बताया कि स्थल पर आने से मन को अपार शांति और जीवन में सुकून की अनुभूति होती है। उनके अनुसार, तपोभूमि-श्री दत्त पीठ की वास्तुकला, प्राकृतिक वातावरण और साधु-संतों की उपस्थिति इसे एक अद्वितीय अनुभव बनाती है। केजरीवाल ने कहा कि इस स्थल की यात्रा केवल दर्शन की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा के कुंडई में स्थित तपोभूमि-श्री दत्त पद्मनाभ पीठ का हाल ही में दौरा किया. इस अवसर पर उन्होंने पद्मश्री सद्गुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामीजी का सान्निध्य प्राप्त किया और वहां की गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव साझा किया।

धामी ने केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया

1105 .79 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिए जाने पर सरकार का धन्यवाद

देहरादून/ऋषिकेश, 31 मार्च. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश बाईपास 4-लेन परियोजना के लिए 1105.79 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जाने पर केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया है.

केन्द्र सरकार ने प्रदेश सड़क ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज यह स्वीकृति प्रदान की है. यह बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर टीनपानी फ्लाईओवर से खरासोटे पुल तक विकसित किया जाएगा.

लगभग 12.67 किलोमीटर लंबी यह परियोजना भट्टोवाला और ढालवाला गांवों से होकर गुजरेगी. निर्माण कार्य इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एवं कंस्ट्रक्शन मोड पर किया जाएगा और इसे तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. मुख्यमंत्री धामी ने स्वीकृति पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से ऋषिकेश क्षेत्र में यातायात दबाव कम होगा और जाम की समस्या से निजात मिलेगी.

साथ ही चारधाम यात्रा और पर्यटन गतिविधियों को भी गति मिलेगी, जिससे प्रदेश के आर्थिक विकास को बल मिलेगा. मंत्रालय के अनुसार परियोजना कार्य में किसी भी प्रकार की लागत या समय वृद्धि स्वीकार नहीं की जाएगी. परियोजना के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी. यह परियोजना वित्त वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधान के अंतर्गत संचालित होगी.

इसके पूर्ण होने के बाद ऋषिकेश क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुगम होगी और पर्यटन एवं स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी.

कार्यालय नगर परिषद् रानापुर, जिला-झाबुआ (म.प्र.)

क्रमांक / ई-टेण्डर / 427 / 2026 — Email:- cmoranapur@mpurban.gov.in — रानापुर, दिनांक 26.03.2026

अल्पकालीन पंचम ई-निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा समस्त समक्ष श्रेणी पंजीकृत निविदाकारों को सूचित किया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य की ऑनलाईन ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल www.mptenders.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

ई टेण्डर आई.डी. क्रमांक	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में) तथा पूर्णत अवधी	अमानत राशि रू. एवं निविदा प्रपत्र मुल्य	निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि
2026_UAD_495909 1	Selection of Contractor for The Work of "Legacy Waste Dumpsite Remediation through Bioremediation, Bio mining and disposal of Residual waste" in Nagar Parishad, Ranapur	203.43 04 Months	1,01,720 15,000/-	13-04-2026 17:30 hr

नोट :- 1. उपरोक्त कार्य के Amendments केवल वेबसाईट पर ही Corrigendum / addendum details अन्तर्गत प्रकाशित किये जायेंगे। अन्य विवरण उपरोक्त पोर्टल पर अथवा कार्यालय मे कार्यालयीन समय पर देखे जा सकते है।

(सुश्री दीपमाला दिलीप नलवाया)
अध्यक्ष
नगर परिषद रानापुर

(मिलन पटेल)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद रानापुर

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking — सिंडिकेट Syndicate

प्रधान कार्यालय : 112, जे.सी. रोड़, बैंगलूर - 562002
क्षेत्रीय कार्यालय: ओमेगा टॉवर, तीसरी मंजिल मंजिल, 32 मैकेनिक नगर, भमोरी, इंदौर फोन: 0731-2573816

सूचना

(वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूतिहित प्रवर्तनअधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस (सरफेसी एक्ट)

केनरा बैंक गोयर नगर शाखा, इन्दौर के माध्यम से प्राप्त किया गया ऋण जो कि एन. पी. ए. हो चुका है व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्न वर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्न वर्णित ऋणी/जमानतदार को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांक को पंजीकृत डाक पावती सहित द्वारा ऋणी/जमानतदार व सह ऋणी आप सभी को भेजी गई थी। निम्न वर्णित मांग सूचना दिनांक में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया है, कि आपके द्वारा सूचना मे दर्शाई राशि **60** दिनों के अंदर जमा नहीं कराई गई तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक संपत्ति जो कि निम्नलिखित ऋणी/ जमानतदार के नाम है, उसका आधिपत्य ले लिया जाएगा। बकाया राशि का उल्लेख निम्नानुसार है:

क्रं.	ऋणी/जमानतदार का नाम व पता	मांग सूचना दिनांक / बकाया राशि (₹)	अचल संपतियों का विवरण
	गोयल नगर शाखा, इन्दौर, मोबाईल: 70499 19137		
1.	**1. मेसर्स एसआरबी इंटरप्राईजेस, प्रोप्राईटर श्री दीपक राठौड,** 55, श्रमजिवि हम्माल कॉलोनी, बांगड़दा रोड, इन्दौर (म.प्र.) 452001, **2. श्री दीपक राठौड पिता जुगल किशोर राठौड,** पुराना 91, नया 127, आदर्श इंदिरा नगर, इन्दौर (म.प्र.) 452001, **3. श्रीमती पूजा राठौड पति श्री दीपक राठौड,** पुराना 91, नया 127, आदर्श इंदिरा नगर, इन्दौर (म.प्र.) 452001, **4. श्रीमती पूजा राठौड पति श्री दीपक राठौड,** फ्लेट नं. 403, चौथी मंजिल, ब्लॉक नं. बी, ओम हाईट्स, ओम विहार कॉलोनी, सर्वे नं. 237/1/1 क, 237/1/1/2 क एवं सर्वे नं. 237/1/1 क का भाग, ग्राम गादरा खेड़ी, इन्दौर (म.प्र.) 452001	मांग सूचना दिनांक **24.03.2026** बकाया राशि (₹) **32,73,567.81** + दिनांक 23.03.2026 से ब्याज एवं अन्य खर्च	फ्लेट नं. 403, चौथी मंजिल, ब्लॉक नं. बी, ओम हाईट्स, ओम विहार कॉलोनी, सर्वे नं. 237/1/1 क, 237/1/1/2 क एवं सर्वे नं. 237/1/1 क का भाग, ग्राम गादरा खेड़ी, इन्दौर (म.प्र.) 452001, **क्षेत्रफल: 835 वर्गफीट (सुपर बिल्टअप), मालिक: श्रीमती पूजा पति दीपक राठौड, सीमाएं: उत्तर:** फ्लेट नं. 404, **दक्षिण:** लिफ्ट एवं सिढ़ी, **पूर्व:** कॉमन पेसेज, **पश्चिम:** बिल्डिंग का एमओएस

(1) उक्त मांग सूचना पत्र आपको डाक प्राधिकरण द्वारा **केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय** से भेजा गया था। आप नोटिस की कॉपी बैंक से प्राप्त कर सकते है ताकि आपको सूचना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाये। **(2)** आप सभी को सुझाव दिया जाता है कि मांग सूचना में दर्शाई गई बकाया राशि ब्याज एवं खर्च आदि सहित उपरोक्त मांग सूचना की दिनांक के **60 दिनों** के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत आगामी कार्यवाही से बच सकें।

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 01.04.2026 — **प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक, इन्दौर**

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक 341/अ०क०री०/का०से०/2026 — **// विज्ञप्ति //** — **दिनांक 26.03.2026**

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनीयों का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा **ग्राम-दतोदा, तहसील-डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला- इंदौर** में आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु कॉलोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है :-

अ क्र	कॉलोनाईजर का नाम व पता	स्थान जहां के लिये विकास अनुमति जारी की गई है	धरोहर के रूप में बंधक रखे गये भूखण्डों का विवरण
1	2	3	4
1	**आवेदक श्रीकृष्ण इन्फ्रा तर्फे भागीदार 1. श्री साहिल पिता श्री ज्ञानचंद कटारिया 2. श्री मोनेष पिता श्री जवाहरलाल वाधवानी 3. श्री अर्पित पिता श्री दिलीप भावनानी 4. श्री रघुवीर सिंह पिता श्री करतार सिंह खनुजा पता- यू.जी.-2, मंगलम विहार, पलसीकर चौराहा, इन्दौर (म.प्र.) कालोनी का नाम "कृष्णा निकेतन"**	**ग्राम-दतोदा, तहसील-डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला-इंदौर स्थित भूमि खसरा नंबर 888/1 रकबा 0.093 हे., 888/2 रकबा 0.093 हे., 889/1 रकबा 0.409 हे., 889/2 रकबा 0.408 हे., 890/2 रकबा 0.700 हे., 891/3 रकबा 0.202 हे., 894/2/1 रकबा 0.017 हे., 895/1/1 रकबा 0.573 हे., 906/2/1 रकबा 0.024 हे., 895/2 रकबा 0.271 हे.,905/2 रकबा 0.337 हे.,कुल किता 11, कुल रकबा 3.127 हे.भूमि पर।**	**बंधकनामा पंजीयन क्रमांक एमपी 7 आईजीआर 17512026ए10 0152569 दिनांक 09.02.2026 से भूखण्ड क्रं. 178,179, एसआर-3 से एसआर-12, 180 से 232 तक इस प्रकार कुल 65 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 5599.25 वर्गमीटर भूमि है।**

उपरोक्त कालम नं. ४ में उल्लेखित ६५ भूखण्ड इस कार्यालय में धरोहर के रूप में बंधक रखे गये हैं। अत: सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूखण्डों का क्रय, विक्रय आगामी आदेश तक नहीं किया जावेगा। (कलेक्टर महोदय एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेशित) **अपर कलेक्टर (कॉलोनी सेल शाखा) इन्दौर**

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

Chola — Enter a better life

कॉर्पोरेट कार्यालय: चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 और सी55, 4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिण्डी, चेन्नई-600032 टी.एन.

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के तहत

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के अंतर्गत चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (सुरक्षित ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(12) के साथ नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकताओं से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। अधोहस्ताक्षरी का यह मानना है कि उधारकर्ता मांग सूचना की तामील से बच रहा है, इसलिए नियमों के अनुसार सूचना को चिपकाने और प्रकाशित करने से उसकी तामील प्रभावित हो रही है। मांग सूचना की विषय-वस्तु नीचे उद्धत है:-

स. क्र.	उधारकर्ता/ओं और सह-उधारकर्ता/ओं का नाम और पता	ऋण राशि	मांग नोटिस की तिथि एवं ओ/एस. राशि	संपत्ति / सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण
1.	ऋण खाता नं. (एस). : LAP3DHR000128452 1. श्रीमान/श्रीमती। अय्यूब खान 2. श्रीमान/श्रीमती। फरहान खान 3. श्रीमान/श्रीमती। रुकसार अय्यूब क्रम संख्या 1 और 2 के लिए पता:-147 छतरीपुरा धार,तहसील एवं जिला धार एम.पी., निकट चिंतामन गणेश मंदिर छतरीपुरा, धार, म.प्र.-454001, पता : क्र.1 और 2 के लिए: निजी प्लॉट नं. सी-1 और सी-2, बमोहल्ला बख्तावर मार्ग छत्रीपुरा, पुराना म.नं. 143 नया 146, धार, धार, धार, म.प्र., 454001 चिंतामण गणपति मंडी, धार मध्य प्रदेश 454001	रु. 20,00,000/-	11.03.2026 रु. 20,93,045/- (बीस लाख तिरानवे हजार पैंतालीस मात्र) दिनांक 11.03.2026 तक	वह संपत्ति जिसका नाम आवासीय मकान संख्या 142/2, क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट, वार्ड संख्या 30, बामोहल्ला बख्तावर मार्ग, छत्रीपुरा धार, तहसील एवं जिला धार (मध्य प्रदेश) में स्थित है। आयाम- पूर्व से पश्चिम दोनों ओर 30 फुट उत्तर से दक्षिण दोनों ओर 50 फुट। कुल क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट या 139.35 वर्ग मीटर। सीमाएँ- पूर्व में नवाब खान का मकान, पश्चिम में आशिक खान का मकान, उत्तर में गली, दक्षिण में इंदौर-अहमदाबाद रोड।

यह सूचना दिनांक 15-10-2025 की हमारी पिछली सूचना के स्थान पर जारी की जा रही है। कृपया सूचित किया जाता है कि SARFAESI अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी दिनांक 15-10-2025 की पिछली सूचना तत्काल प्रभाव से वापस ली जाती है।

उधारकताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करें। साथ ही, भुगतान प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय भी शामिल करें।
उधारकर्ता कृपया ध्यान दें कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सुरक्षित लेनदार अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का उपयोग करके उन्हें स्थानांतरित करना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। और भुगतान प्राप्त करना। सुरक्षित लेनदार को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्तियों को कुर्क और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के बाद, सुरक्षित लेनदार को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, अगर गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य सुरक्षित लेनदार को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी भी अन्य कानून के तहत सुरक्षित लेनदार के लिए उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। उधारकर्ता (कों) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय और धारा 13(13) की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है। इसके तहत उधारकर्ता (कों) को सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेन-देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्य तरीके से (व्यावसायिक गतिविधि के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का पालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। डिमांड नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता (कों) यदि चाहें तो इसे अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्य दिवस में सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान: धार, मध्य प्रदेश
दिनांक: 11.03.2026

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए

BAJAJ FINANCE

सोने के गहनों की नीलामी के लिए समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना

बजाज फाईनान्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः मुंबई - पुणे रोड, अकुर्दी, पुणे - 411035

BFL सभी ऋणियों और सर्वसाधारण को सूचित करता है कि गोल्ड लोन लेते समय ऋणी ने बतौर सेक्युरिटी अपने लोन खाते में सोने के गहने गिरवी रखे और बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद जो ऋणी लोन की राशि चुकाने या आवश्यक मार्जिन देने में विफल रहे उनके गहने 'जहां है जैसा है और जो है जैसा है' आधार पर नीलाम किए जाएंगे। निविदा करने वालों से अनुरोध है कि नीचे दी गई शर्तों का पालन करें:

(क) क्यूआर कोड स्कैन कर सार्वजनिक सूचना (लोन, गहनों का सकल वजन, स्थान और नीलामी की तिथि) की सम्पूर्ण जानकारी देखें।
(ख) सार्वजनिक नीलामी से संबंधित निविदा के सभी नियम और शर्तें ("टी एण्ड सी") वेबलिंक http://172.30.1.235:3000/?WOUB2QG9WU के माध्यम से पढ़ें;
(ग) नियम और शर्तें समझ लें और उसके बाद ही नीलामी की तिथि या उससे पहले बतौर अग्रिम जमा राशि रु.25,000 फंड ट्रांसफर (एनईएफटी/आरटीजीएस/बजाज गोल्ड ऑक्शन ऐप) कर दें;
(घ) नीलामी के स्थान पर सुबह 10 बजे तक व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज करें; तथा
(ङ) नीलामी के स्थान पर अपना पहचान और पते का वैध प्रमाण लेकर आएं।
(च) नीलामी की दिन में दोपहर 12 बजे के बाद नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(छ) शाखा प्रबंधक/नीलामीकर्ता को बोली लगाने वालों की भागीदारी स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, यदि वे निर्धारित समय सीमा में भाग नहीं लेते हैं, चाहे वे अग्रिम राशि जमा राशि (ईएमडी) का भुगतान कर चुके हो।

TQRCG
स्कैन करें

नीलामी के स्थान और तिथि में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो उसकी सूचना नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित की जाएगी। आपका निविदा करना उपरोक्त शर्तों पर सहमत होना माना जाएगा। यदि सार्वजनिक नीलामी से बिक्री निलंबित/निरस्त होती है तो बीएफएल ऋणी(ऋणियों) के कहने पर निजी तौर पर गहनों की बिक्री करने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है। अतिरिक्त जानकारी के लिए हमसे इस ईमेल आईडी पर संपर्क करे - gold.auction@bajajfinserv.in

(11-05-26) **आस्था - कन्नौद रोड**; P0X6GOL16830427, 17300659, 17367749. **बैतूल - शर्मा कॉम्प्लेक्स**; PCA4GOL16773604, 17295519, 17290951. **भिण्ड - ग्वालियर रोड**; P0Z5GOL16952971, 17292744. **भोपाल - इमामी गेट**; PF46GOL17301191. (12-05-26) **भोपाल - इंद्रपुरी**; PF49GOL15897350, 16992107. **भोपाल - मध्य प्रदेश नगर**; PCA5GOL17350799. **ब्यावरा - ओल्ड एबी रोड**; PMN3GOL16899175, 17346006. **बीना - इटावा स्टेशन रोड**; PCA6GOL16934186, 17309367, 17313378. (13-05-26) **छिंदवाड़ा - परासिया रोड**; PEQ1GOL16937952, 17038872, 17244826. **देवास - एबी रोड**; PGG2GOL16935189, 17071214, 17112376, 17109300. **गंज बसोदा - मेन रोड**; P02WGOL17219928. **गुना - एबी रोड**; PEH2GOL16995455, 17047137, 17063220, 17071125, 17090979, 17182044, 17267651, 17345584. (14-05-26) **ग्वालियर - सिटी सेंटर**; PCA7GOL16834603, 16926610, 17156909, 17179009. **ग्वालियर - गोले का मंदिर**; PJD1GOL16787808, 16786933, 16883785, 17087002, 17372445. **ग्वालियर - मुरार**; PHF9GOL17217248. **ग्वालियर - नया बाज़ार**; PF25GOL16926921, 16930230, 16948533, 17324059. **ग्वालियर - विनय नगर**; PEF2GOL16976252, 17064148, 17206877, 17271182. (15-05-26): **हरदा - बाफना टावर**; PCA8GOL17265771. **होशंगाबाद - मीनाक्षी चौक**; PCA9GOL14377792, 15781880, 15847333, 16882275, 17084144, 17107363, 17366280. **इंदौर - विजय नगर**; PGJ9GOL16773837, 16950156, 17246763. **इटारसी - सराफा बाज़ार**; P03WGOL17089066, 17106732. **जबलपुर - दीनदयाल चौक**; PEH4GOL16827774, 16828403, 16852387, 16995094, 17345013. (18-05-26) **जबलपुर - राइट टाउन**; PG03GOL16776855, 16900001. **खंडवा - शिवाजी चौक**; PCP1GOL17129161. **खरगोन - जवाहर मार्ग**; PJC9GOL17002772. **मुरैना - शिवनगर**; PJC8GOL16926991, 17098272, 17178289. **पोरसा - BGL**; POA4GOL17223572, 17323427. (19-05-26) **नरसिंहपुर - BGL**; PNT1GOL17048156, 17133284, 17309685, 17368218, 17368998. **रीवा - BGL**; PNR9GOL16824748, 17240440. **सतना - रीवा रोड**; PCP2GOL17273532. **शहडोल - BGL**; PNT3GOL16832024. (20-05-26) **श्योपुर - शिवपुरी रोड**; PLC3GOL15965524, 16995242, 16999684. **शिवपुरी - एबी रोड**; PEH3GOL17090624, 17089697. **शुजालपुर - मंडी**; PPG5GOL16931825. **उज्जैन - फ्रीगंज**; PCP4GOL17314981, 17343257.

बजाज फाईनान्स लिमिटेड

आज का इतिहास

1582 - फ्रांस में पहली बार अप्रैल फूल डे (मूर्ख दिवस) मनाया गया.
1889 - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक एवं क्रांतिकारी केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म.
1912- भारत की राजधानी औपचारिक रूप से कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई.
1930 - भारत में विवाह के लिए लड़कियों की उम्र 14 और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई.
1935 - भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना.
1936 - भारत के उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई, जो कि पहले कलिंग या उत्कल के नाम से जाना जाता था.
1936 - हिन्दी सिनेमा की 1950 और 60 के दशक की प्रसिद्ध अभिनेत्री जबीन जलील का जन्म.
1941 - भारत के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी अजित वाडेकर का जन्म.
1952 - भारत के प्रसिद्ध जादूगर ओ.पी. शर्मा का जन्म.
1973 - भारत के कार्बेट नेशनल पार्क में चीताओं को बचाने के लिए टाइगर बचाओं अभियान चलाया गया.
1979 - ईरान मुस्लिम गणराज्य घोषित.

HDFC BANK — एचडीएफसी बैंक लिमिटेड — मांग सूचना

शाखा कार्यालय: एचडीएफसी लिमिटेड, प्लॉट नंबर 3, दूसरी मंजिल, स्टार स्क्वायर आईएसबीटी के पास नेक्सा शोरूम के ऊपर, कस्तूरबा नगर, भोपाल - 462001, CIN: L65920MH1994PLC080618, वेबसाईट: www.hdfcbank.com

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूतिहित हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत

जबकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठनअधिनियम 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के सपठित धारा 13(12) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** (पूर्ववर्ती एचडीएफसी लिमिटेड का दिनांक 17 मार्च 2023 के आदेश के तहत माननीय एनसीएलटी-मुंबई द्वारा अनुमोदित समामेलन की एक योजना के आधार पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निम्नलिखित ऋणियों/वैध वारिसों/ वैध प्रतिनिधियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई दिनांक से 60 दिन के अंदर मांग सूचनाओं में अंकित राशियों के भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आमंत्रित किया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा ऋणियों/सह-ऋणियों /वैध वारिसों/वैध प्रतिनिधियों को उनके अंतिम ज्ञात पते के परिसर में इन सूचनाओं को चस्पा कर दिया गया था तथा ऋणियों/सह-ऋणियों / वैध वारिसों/वैध प्रतिनिधि यदि चाहे तो वे सामान्य कार्यालयीन समय के दौरान किसी भी कार्यदिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता से संबंधित प्रतिलिपी प्राप्त कर सकते है।
उपरोक्त के संबंध में, एतद् द्वारा ऋणियों/सह-ऋणियों /वैध वारिसों/वैध प्रतिनिधियों को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त ऋणियों द्वारा निष्पादित, यदि कोई हो तो ऋण अनुबंध तथा अन्य लेख/दस्तावेज के स पठित निराकरण/भुगतान की दिनांक तक नीचे दिए गए कॉलम (सी) में अंकित संबंधित दिनांक से मांग सूचनाओं में वर्णित ब्याज सहित संबंधित नामों के समक्ष नीचे दी गई राशियों का इस सूचना प्रकाशन की दिनांक से **60 दिन** के अंदर एचडीएफसी को भुगतान करें। ऋण के देय भुगतान हेतु प्रतिभूति के रुप में क्रमशः निम्न सम्पत्तियाँ ऋणियों द्वारा एचडीएफसी को बंधक रखी गई हैः-
ऋणी(यों)/ सह -ऋणी(यों)/कानूनी वारिस (सों)/ कानूनी प्रतिनिधि(यों)का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के सदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्रं.	ऋणीयों/वैध वारिसों तथा वैध प्रतिनिधियों के नाम	कुल बकाया राशि	मांग नोटिस की दिनांक	सुरक्षित आस्ति(यों)/ अचल संपत्ति (यों) का विवरण
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)
1	**1. श्री प्रदीप करंबेलकर पता:** मकान 257 पी/ओ 281(क्वार्टर नंबर 3 एस/ओ), प्लॉट 257 पी/ओ 281, स्ट्रीट महात्मा गांधी मार्ग, कॉलोनी बजरनपुरा, तहसील वार्ड, नंबर 15, बड़ा बाजार, देवास - 455001 **2. श्रीमती श्रद्धा करम्बेलकर, 3. श्री नरेंद्र गणेश करंबेलकर 4. श्रीमती अरुणा करंबेलकर सभी का पता :** सी-101, नगर निगम कार्यालय के पास, नेहरू नगर, भोपाल - मध्य प्रदेश - 462003	**Rs. 1,83,97,710/- दिनांक 31-12-2025 तक**	**24-02-2026**	संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश एक आवासीय म्युनिसिपल मकान नंबर 257 (दक्षिणी भाग-2) (क्वार्टर नंबर 3) पैकी, वर्तमान में मु. मकान नंबर 281, महात्मा गांधी मार्ग (बजरंगपुरा), जूनियर वार्ड नंबर 15, देवास **क्षेत्रफल:** - 414.82 वर्ग मीटर **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व: अन्य का मकान, पश्चिम: - सरकारी सड़क, उत्तर: - मु. मकान नंबर 257 भाग 1 का शेष भाग, दक्षिण: - सरकारी आम रास्ता (लाला लाजपत राय मार्ग)
2	**1. श्री उमेश नारायण त्रिपाठी पता:** फ्लेट नंबर 204, अभिनंदन अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 301, सेक्टर ए, सिलिकॉन सिटी, राऊ, मध्य प्रदेश - 453331 **पता:** फ्लेट नंबर 209 ब्लॉक-ई, वैभव अपार्टमेंट, सुरेंद्र पैलेस, भोपाल यूनिवर्सिटी, बी यू यूनिवर्सिटी के पास, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462026 **2. श्रीमती सुलेखा त्रिपाठी पता:** फ्लेट नंबर 146 ब्लॉक-ए, वैभव अपार्टमेंट, सुरेंद्र पैलेस, भोपाल यूनिवर्सिटी, बी यू यूनिवर्सिटी के पास, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462026	**Rs. 6,13,313/- दिनांक 31-10-2025 तक**	**06-12-2025**	संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश, फ्लेट नंबर 204, दूसरी मंज़िल, अभिनंदन अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 301, सेक्टर ए, सिलिकॉन सिटी, निहालपुर मुंडी, राऊ, तहसील एवं जिला - इंदौर, मध्य प्रदेश - 453331 **फ्लेट का सुपर बिल्ट-अप एरिया** 607 वर्ग फुट, यानी 56.41 वर्ग मीटर **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व: डक्ट एवं कमरा नं. 203, पश्चिम: डक्ट एवं कमरा नं. 203, उत्तर: मकान एवं खाली भूमि, दक्षिण: कॉमन पेसेज
3	**श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा (दिवंगत) की पत्नी/पुत्र/ पुत्री/पति एवं अन्य ज्ञात व अज्ञात कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी एवं श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा (दिवंगत) के उत्तराधिकारी पता:** यूनिट-जूनियर-एमआईजी-20, सर्वे नंबर एमपीएचबी प्रॉपर्टी, फेज़ सुभाष नगर एवं ट्रांसपोर्ट नगर, जबलपुर - मध्य प्रदेश - 482004 **पता:** बी 401, श्री जी हाइट्स, श्री जी वैलेटी, बिचौली, मर्दाना, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452016	**Rs. 11,01,540/- दिनांक 31-12-2025 तक**	**25-02-2026**	संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश एक लीजहोल्ड मकान नंबर जूनियर एमआईजी 20, डी-सेक्टर, महाराजपुर, सुभाष नगर, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश **प्लॉट का कुल क्षेत्रफल** 8.30 मीटर x15.00 मीटर = 124.50 वर्ग मीटर, यानी 1339.62 वर्ग फुट **चर्तुसीमाएँ :-** पूर्व: जूनियर एमआईजी19, पश्चिम: जूनियर एमआईजी 21, उत्तर: एचआईजी मकान, दक्षिण: सड़क

*आगे के प्रतिवर्ष ब्याज जो लागू हो आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित निराकरण/भुगतान होने की दिनांक तक यदि ऋणी उपरोक्तानुसार एचडीएफसी को भुगतान करने में असफल होते है तो एचडीएफसी उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत तथा लागू नियमों के तहत सुरक्षित संपत्तियो/ अचल संपत्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने को बाध्य होगी जिसके परिणाम व लागत की सम्पूर्ण जवाबदारी ऋणि(यों)/वैध वारिसों(सों)/वैध प्रतिनिधियों (यों) की रहेगी।
उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत ऋणी(यों)/वैध वारिस(सों)/वैध प्रतिनिधी(यों) एचडीएफसी की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियो/अचल संपत्तियों को किसी भी तरह के विक्रय, लीज़ या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण हेतु प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों या इसके अधिन नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया जाएगा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कैद या जुर्माने का पात्र होगा।

वास्ते/- **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड**
प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : भोपाल (म.प्र.), दिनांक : 01.04.2026